

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. सं

फर्द अहकाम

क्र. सं 108/15 करीब 16.11.15

उपनाम - राजाधर बनाम जिला कलेक्टर करौली  
दावा ब्याबत द्यो गणा खातेदारी एवं इन्ड्रोज कुमस्ती

वादी की ओर से श्री दिलीवर सिंह Adv. ने दावा ब्याबत द्यो गणा खातेदारी एवं इन्ड्रोज कुमस्ती पेश किया। दस्तावेजों का खर्च लो कच किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलाब किया जाकर दिनांक 30.11.15 को पेश हो

30.11.15  
16.11.15

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

30.11.15 वादी वकील उप०/ प्रतिवादी नं. 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं प्रतिवादी नं. 1 का सम्मन बाद ताभीम प्राप्त नहीं। P.O. साहब अवकाश पा रहे बख्तजर ताभीम दि. 23.12.15 को पेश हो।

23.12.15 वादी वकील उप०/ प्रतिवादी नं. 2 के बिलह एक पक्षीय कार्यालय की जाती हैं। प्रतिवादी नं. 1 का पुनः सम्मन तलवाना पेश हो। आईन्दा दिनांक 8.2.16 को पेश हो

8.2.16 वादी वकील उप०/ सम्मन तलवाना पेश करने की हिदायत की गई। बिले तलवी दिनांक 26.2.16 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम
	<p>14-10-16 कोर्टात उपस्थित झालेला अधिकारी करौली पधारे हे अतः पत्राची मताबुसार दिनांक 10-11-16 को पेश होई।</p>
<p>10-11-16</p>	<p>वादी वकील उपरोक्त प्रतिवादीगण की मोरसे पैरोका सरकातने उपस्थित होऊन व्. ए. पक्षीप कार्यवाही आपास्त कोने को पेश किया व कमल वादी वकील को दिलाई। वादी वकील ने भी अक्षय पेश नहीं की यह द० स्वीकार कोने को कथन किया है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई एक पक्षीप कार्यवाही आपास्त की जाती है वास्तविक पेश कोने दि० 5-12-16 को पेश हो।</p>
<p>5-12-16</p>	<p>वादी वकील एवं पैरोका सरकात उपरोक्त। पैरोका सरकातने अक्षय पेश किया। वादी वकीलने अक्षय की कमल प्राप्त की। १०-साख करौली पधारे हैं। भाईदा दिनांक 3.1.17 को पेश हो।</p>
<p>3.1.17</p>	<p>वादी वकील एवं पैरोका सरकात उपस्थित। वादी वकीलने यह दावा घोषणा कोतेदारी एवं इन्ड्रज डुकस्ती का इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम ताजपुर स्थित भूमि खं.नं. 16 रकबा 0.01, खं.नं. 17 रकबा 0.46 हे० का वादी कोतेदा काशतका की भूमि खं.नं. 16 रकबा 0.01 हे० एवं 17 रकबा 0.46 हे० सरकात के नाम दर्ज है। सं. 2035-38 के साखिक रिकार्ड में खं.नं. 15 था जिसके मवीन खं.नं. 16 व 17 बने हैं जो गंगाधर पुत्र डूल्हेराम के नाम से अंकित है। इस भाणजी को</p>

उप जिला कलेक्टर

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>वादी एक मात्र खतोदा है/वादी का वास्तविक नाम गंगाधर पुत्र डूल्हेराम है जोकि पालियफ फर, रक्षण कार्ड में सही है जबकि रेकॉर्ड कार्ड में सं. 2035-24 एवं चालू जमाबंदी में वादी का नाम गंगाधर पुत्र डूल्हेराम अंकित कर दिया है अतः दाया पेशक निवेदन है कि खं.नं. 16, 17 में खतोदारी वादी के नाम की जोब तथा रेकॉर्ड कार्ड में वादी का नाम दाशतकार्ड के रूप में जहां भी गंगाधर लिखा है हजफ व्वा वास्तविक नाम गंगाधर पुत्र डूल्हेराम किप जोब।</p> <p>सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने जकार दाया पेश किया है कि खं.नं. 16 रकबा 0.01 है सरकारी ऊं मुंदाट दर्ज है तथा खं.नं. 17 रकबा 0.46 है गंगाधर पुत्र डूल्हेराम के नाम दर्ज किया है खं.नं. 16 रकबा 0.01 है गत खं. नं. 15 रकबा शविस्वा से बना है जो सरकारी चाल है खं.नं. 17 रकबा 0.46 है गत खं.नं. 15 मि. रकबा एक वीधा पन्हाट विस्वा से बना है जो गंगाधर पुत्र डूल्हेराम अर्ज के नाम अंकित होना राजस्व कार्ड में दर्ज है। सबूत के रूप में गफल जमाबंदी सं. 2031-34 पेशकी है जिसमें खं.नं. 95 रकबा 9.111, गंगाधर पुत्र डूल्हेराम के नाम की खतोदारी नो.सं. 10 का अंकन है इसलिए वादी उरदावा अवत दीखना खतोदारी एवं इन्डाज डूल्हेरी व्वा खासि किप जाना चाहिए।</p>

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

नांक

फर्द अहकाम

यह मामला मूलतः इन्द्राज दुकली का केश क्रिया  
 की लैण्ड होल्डर तहसीलदार टोडाभीम चैरोकर सरकार  
 का स्पष्ट जम्मा रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है कि प्रक  
 में खं. नं. 15/1 में से ग्राम 91119 गंगादा पुत्र इन्द्राज  
 गुरु के नाम से आवंटित हुई है साबिक रिकार्ड से  
 नवीन रिकार्ड तैयार कले डर बिली भी प्रकाश की  
 लिपिकीय त्रुटी या गलत इन्द्राज नहीं डर है  
 इस प्रकार काही 38 दावा अथवा घोषणा बातेदारी  
 एवं इन्द्राज दुकली अस्वीकार होने के कारण  
 खारिज किया जाता है पर्या डिही जारी हो।  
 पत्रावली केसल शुभार नखर से कर होकर  
 दाखिल दफ्तर हो। ~~रत आवंटन रकम कराने के लिए~~  
~~तहसील में नौ पत्र सिद्धे~~

उप जिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)